

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(16)राज/वाद/25

जयपुर, दिनांक 14/10/2025

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.-3/2025-08916 जयपुर दिनांक 19.09.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नांकित अभ्यर्थियों को **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999** के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/- रुपये प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पे-मैट्रिक्स के लेवल L-5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है:-

क्र.सं.	मेरिट नं०	रोल नं०	नाम सर्व श्री/सुश्री/ श्रीमती	पिता का नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	महिला/ पुरुष	श्रेणी	चयनित श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	448	440087	नितिन कुमार	महेन्द्र कुमार	22.02.99	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, नीमकाथाना, सीकर
2	550	428938	विनीत शर्मा	लाल बहादुर शर्मा	21.03.97	Male	GEN	GEN_A	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
3	592	441872	विजय कुमावत	नन्दा राम कुमावत	05.07.98	Male	OBC	GEN_A	शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4	600	420966	जयन्त यादव	श्रवण सिंह यादव	01.07.01	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, बीकानेर
5	716	411927	नितिन सिंह	वीरपाल सिंह	15.08.02	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बयाना, सं02, भरतपुर
6	781	424675	श्रेष्ठ सरावग	विद्याधर	03.06.03	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, झुंझुनू
7	801	454448	नरेन्द्र कुमार यादव	प्रहलाद यादव	31.05.99	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चाकरसू, जयपुर महानगर प्रथम
8	803	442084	सतीश चन्द शर्मा	लल्लू लाल शर्मा	02.03.99	Male	GEN	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फागी जिला जयपुर
9	813	440482	छवि त्रिपाठी	आशीष त्रिपाठी	07.10.02	Female	GEN	GEN_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर प्रथम
10	835	414608	सुरेन्द्र	राजेन्द्र	01.03.97	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, तारानगर, चूरू
11	867	419911	सुरेन्द्र कुमार	पूर्ण चन्द	05.11.01	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, श्रीगंगानगर
12	901	433991	लालचन्द सियाक	दुली चन्द	12.09.95	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लक्ष्मणगढ़, सीकर
13	909	446293	सोनू जांगिड़	महेश कुमार जांगिड़	10.07.04	Male	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, कोटपूतली
14	1187	412075	ज्योति कुन्तल	जोगेन्द्र सिंह	01.01.02	Female	OBC	GEN_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर जिला जयपुर
15	1375	401025	जितेन्द्र सिंह	मोहन सिंह	14.05.99	Male	EWS	EWS_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मेड़ता
16	1548	438289	रीना कुमारी	लादू राम	29.05.96	Female	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, सीकर
17	1578	425062	मनीष कुमार जांगिड़	गणपत लाल जांगिड़	05.08.97	Male	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दौसा
18	1596	401645	राकेश भाकल	गणपत राम	01.01.01	Male	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, नागीर
19	1601	429635	युवराज सिंह यादव	मंगल सिंह यादव	27.11.2000	Male	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, महवा, दौसा
20	1614	401065	विवेक सिंह	भूपेन्द्र सिंह	01.12.01	Male	EWS	EWS_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अजमेर
21	1634	442702	विवेक चौधरी	रामचन्द्र चौधरी	28.07.93	Male	OBC	OBC_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सीकर

22	1679	413018	हितेश चौधरी	संतोष चौधरी	11.12.95	Male	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, नदबई, भरतपुर
23	1882	412002	गुंजन रानी	ललता प्रसाद	08.09.96	Female	OBC	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं09, जयपुर महानगर द्वितीय
24	2103	444575	रूपा गोयल	रामनारायण गोयल	02.08.95	Female	EWS	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं04, जयपुर महानगर प्रथम
25	2121	457767	अश्विनी मिश्रा	प्रमोद मिश्रा	24.03.98	Female	GEN	GEN_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं07, जयपुर महानगर प्रथम
26	2427	454614	बुद्धि प्रकाश गुर्जर	महावीर गुर्जर	07.08.97	Male	MBC	MBC_A	अपर लोक अभियोजक, सं01, बूंदी
27	2774	431563	पुष्पेन्द्र नागरवाल	विश्राम नागरवाल	01.01.05	Male	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं03, अलवर
28	2845	433277	हिमानी शर्मा	भानुप्रताप शर्मा	06.04.2000	Female	EWS	EWS_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं04, जयपुर जिला जयपुर
29	2870	424495	शिवानी सिंह	गुमान सिंह बड़गुजर	11.02.2000	Female	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं06, जयपुर महानगर द्वितीय
30	3101	432515	दीक्षा बराला	महेन्द्र सिंह बराला	19.04.2000	Female	OBC	OBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं08, जयपुर महानगर प्रथम
31	3155	408545	शिवराज बैरवा	हजारी लाल बैरवा	06.07.99	Male	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, करौली
32	3391	432703	धर्मेन्द्र मौर्य	गोपाल मौर्य	17.06.03	Male	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, लालसोट, दौसा
33	3508	426687	सपना चावला	रमेश चन्द चावला	13.01.98	Female	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं08, जयपुर महानगर द्वितीय
34	3579	426574	यमन कुमार रेवाड़िया	राजेश कुमार रेवाड़िया	06.11.97	Male	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं04, अजमेर
35	3605	437020	प्रवीण कुमार फुलवारिया	बिहारी लाल फुलवारिया	14.08.99	Male	SC	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सिकराय, दौसा
36	3741	454932	विशाल मीना	कैलाश चन्द मीना	12.08.01	Male	ST	ST_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सर्वाईमाधोपुर
37	4053	423876	राहुल मीणा	ग्यारसी लाल मीणा	15.08.02	Male	ST	ST_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं04, सीकर
38	4179	434575	अंजली मीना	शंकर लाल मीना	04.02.01	Female	ST	ST_A	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, जयपुर महानगर द्वितीय
39	4219	442438	ज्योतिका	शम्भू दयाल गुर्जर	05.01.2000	Female	MBC	MBC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं01, जयपुर जिला जयपुर
40	4316	427464	मनीष कुमार मीना	बाबू लाल मीना	06.08.94	Male	ST	ST_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, कटूमर अलवर
41	4485	431999	घनश्याम देवडवाल	राम सहाय मीना	15.11.02	Male	ST	ST_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, किशनगढ़बास, सं02, अलवर
42	4603	423300	गुलशन मीणा	प्रभु लाल मीणा	03.04.03	Male	ST	ST_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, टोंक
43	6499	420419	राकेश कुमार स्वामी	कृष्ण कुमार स्वामी	06.06.92	Male	OBC-SP	OBC_A	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
44	7198	459616	मनीषा धाकड़	श्योंजी राम	15.06.93	Female	OBC-DIV	OBC_A	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
45	7276	430420	विकास शर्मा	महादेव प्रसाद शर्मा	03.06.95	Male	EWS-LDCP	EWS_A	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
46	7624	427334	आकाश कुमार विजय	कैलाश चन्द विजय	05.07.95	Male	GEN-BLV	GEN_A	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर
47	7787	454353	रामकेश बैरवा	हीरा लाल	07.06.95	Female	SC-DIV	SC_A	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिमाषक, सं05, अजमेर

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफ.डी. /रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13 (1)एफडी /रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनेशन) देय होगा। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
4. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम/विभिन्न न्यायालयों में दायर कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2024 से संबंधित समस्त लंबित याचिकाओं में होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।

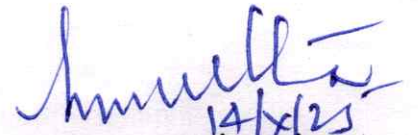
[Handwritten Signature]
14.10.25

5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क-2)विभाग के परिपत्र क्र. प.15(01)/कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
8. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
9. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
11. **आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा।** किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो उक्त समयावधि में अभिवृद्धि हेतु पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति लेनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
12. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
15. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्वधीन रहेगी।
16. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज कूटरचित/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं तो कार्यग्रहण के उपरान्त भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से वंचित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्वधीन रहेगी।
18. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
19. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण-पत्र सत्य हैं। किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा राज्य सरकार/विभाग द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
20. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
21. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है और जिन्हें राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन पश्चात् स्वीकार किया गया है।
22. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र. सु./अनु.-3/2025-08916, दिनांक 19.09.2025 के क्रम में।
5. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जो कि किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
7. संबंधित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग।
9. संबंधित कोषाधिकारी।
10. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वादकरण।
11. संबंधित अभ्यर्थी.....।
12. ए0सी0पी0, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


14/9/25
(महेश पुरी)
विशिष्ट शासन सचिव